

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा  
उपरोक्त प्रकरण में उपपक्षों के महत्व  
शुद्धीनामा ही गण्य हैं। इसलिए  
शर्मा विपक्षीयता के विरुद्ध कोई  
कार्यवाही नहीं चाहता है। शपथ  
की शर्तों पर प्रमाणित कर  
स्वीकार किया जाता है। पत्रावली  
के संलग्न अन्तर्गत नम्बर पर कदम

हरीश कुमार

7/22